

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

राजस्व/2025/ 157

दिनांक :- 16/11/2025

आदेश:

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 संपादित नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू अगिलेख नियम 1957 गौजा गंगाला के खातेदारी खसरा नंबर क्रमशः 694/211,289/216 एवं ग्राम सोढोंकीबस्ती के खसरा नंबर 508/445, 514/259, 506/257, 501/286, 304/217, 303/217, 320/217, 322/217, 323/217 किसम वा.सो. में एक (बारहमासी रास्ता) चल रहा है परन्तु राजस्व अगिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का कही भी अंकन नहीं है। उक्त रास्ते का राजस्व रेकॉर्ड में अंकन संलग्न दर्शाये अनुसार ए एवं बी अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज- 6/2003/परि/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है।

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टेयर में	किस्म	रास्ते में प्रमावित भूमि रकबा हेक्टेयर में	रास्ता अंकन के बाद शेष खसरे का रकबा हेक्टेयर में
1.	गंगाला	694/211	0.1619	बा.सो.	0.1619	0
2.	गंगाला	289/216	161.8740	गै.मु.गौचर	0.6449	161.2291
3.	सोढों की बस्ती	508/445	0.0647	बा.दो.	0.0647	0
4.	सोढों की बस्ती	514/259	0.0647	बा.दो.	0.0647	0
5.	सोढों की बस्ती	506/257	0.0971	बा.दो.	0.0971	0
6.	सोढों की बस्ती	501/286	6.5559	बा.दो.	0.1608	6.3951
7.	सोढों की बस्ती	304/217	3.2456	बा.दो.	0.0964	3.1492
8.	सोढों की बस्ती	303/217	3.2456	बा.दो.	0.0964	3.1492
9.	सोढों की बस्ती	320/217	6.5559	बा.दो.	0.1620	6.3939
10.	सोढों की बस्ती	322/217	0.0971	बा.दो.	0.0971	0
11.	सोढों की बस्ती	323/217	6.2807	बा.दो.	0.0968	6.1839

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित मौके पर स्थाई रूप से चल रहे कदीमी/ बारहमासी रास्ता जो हर मौसम /सीजन के अनुसार बदलता नहीं है एवं वर्ष भर आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध रहता है। जो वर्तमान में चालू हैं तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में रास्ते में उपयोग में ली जा रही है। अतः तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न नक्शे में ए से बी तक निजि खातेदारी भूमि में से चालू स्थाई रास्ता संबंधित खातेदार की खातेदारी, रखते हुये नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा दिया जाकर संलग्न नक्शे में ए से बी तक रास्ते के रकबे सहित किस्म गेरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। अतः तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।

क्रमांक /राजस्व/2025/ 158-59
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. पटवारी हल्का गंगाला।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
दिनांक :- 16/11/2025

उपखण्ड अधिकारी
रामसर

तहसीलदार रामसर